तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज डॉ राजेन्द्रसिंह भाटी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 234/2019**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डॉ. राजेन्द्रसिंह भाटी पुत्र फतेहसिंह पता भवानी निकेतन, पूर्वा गेस्ट हाउस के पास, सरदारशहर, जिला चूरू (राज.) ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.09..2019 में उसके द्वारा (1) ग्राम अजीतगढ तहसील बालेसर हाल सेखाला में खसरा नम्बर 392/10 का भूमि संपरिवर्तन निरस्त करने हेतु आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 16.08.19 पत्रांक 5110/11 पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही बाबत् उक्त प्रकरण में पांच वर्ष से अधिक समय तक भूमि का उपयोग जिस कार्य के लिए करना था, उसके लिए नहीं करने पर श्रीमती प्रीति चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया जबाब, उसकी प्रति तथा उस जबाब पर आपके कार्यालय के द्वारा संस्थित की गई कार्यवाही मय संसधारित नोटशीट , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टश्र प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2020.01.17 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested